माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / 1492 / प.स. / 2020 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2020

प्रति,

नकल प्रकरण के माप दण्ड

1 प्राचार्य, समस्त समन्वयक संस्था मध्यप्रदेश।
2 मूल्यांकन अधिकारी, समस्त मूल्यांकन केन्द्र मध्यप्रदेश।
3 समस्त केन्द्राध्यक्ष मध्यप्रदेश ।

विषयः– वर्ष–2020 की परीक्षाओं में नकल प्रकरणों पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु मापदण्ड के संबंध में।

—//—

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2020 की परीक्षाओं में व्यक्तिगंत एवं सामूहिक नकल प्रकरणों पर केन्द्राध्यक्ष एवं निरीक्षण दलों की रिपोर्ट तथा मूल्यांकन के दौरान सामूहिक नकल प्रमाणित होने पर निम्न निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाना है–

क्र.	अनुचित साधन / नकल का स्वरूप	कार्यवाही
1.	छात्र से एक विषय नकल सामग्री प्राप्त होना / चिट निगलना, उत्तरपुस्तिका बदलना / फाड़ना या उत्तरपुस्तिका लेकर भाग जाना, नकल फार्म पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना, किसी अन्य से लिखित सहायता लेना, अभिलिखित (रिकार्डिंग) या मुद्रित सामग्री प्राप्त होना।	एक विषय में नकल प्रमाणित होने या अंकित उद्दण्डता भी की हो. छात्र की केवल उस विषय की परीक्षा निरस्त कर उस विषय में **केन्सिल अंकित** कर परीक्षाफल घोषित किया जाए। मण्डल में नकल प्रकरण प्राप्त हाने पर किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नही कराया जावे। **(श्रेणी R.C.-1)**
2.	छात्र द्वारा एक विषय या एक से अधिक विषयों में नकल पर्यवेक्षक अथवा केन्द्राध्यक्ष से दुर्व्यवहार,, धमकी देना या मारपीट करना, छात्र के स्थान पर किसी अन्य फर्जी छात्र द्वारा परीक्षा देना। किसी अन्य से लिखित सहायता लेना, अभिलिखित (रिकार्डिंग) या मुद्रित सामग्री प्राप्त होना।	एक से अधिक विषयों में नकल प्रमाणित होने या एक विषय या एक से अधिक विषयो में नकल के साथ अंकित उद्दण्डता करने पर छात्र की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त किया जाना। मण्डल में नकल प्रकरण प्राप्त हाने पर किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नही कराया जावे।**(श्रेणी R.C.-2)**
3.	केन्द्र पर सामूहिक नकल किया जाना।	1. कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षण दल आदि से परीक्षा केन्द्र पर एक विषय अथवा एक से अधिक विषयों में छात्रों द्वारा सामूहिक नकल किये जाने के प्रतिवेदन दिये जाने, तथा सामूहिक नकल प्रमाणित होने पर संपूर्ण विषयों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त किया जाना। **(श्रेणी R.C.M.C.)** 2. केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने या सामूहिक नकल में सहयोग करना पाये जाने पर जांच उपरान्त उन्हें मण्डल के परीक्षा कार्यों से आगामी पॉच वर्ष के लिये वंचित किया जाना, और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबधित प्रशासकीय विभाग को लिखा जाना।
4	मूल्यांकन के दौरान पाई गई सामुहिक नकल प्रकरणों पर कार्यवाही।	1. मूल्यांकन केन्द्र पर उ.पु. की जांच के दौरान परीक्षा केन्द्र की कम से कम 10 उत्तर पुस्तिकाओं में हल किये गये एक तिहाई उत्तर, एक ही भाषा शैली में, एक ही तरीके से लिखे गये हों, (भले ही प्रश्नपत्रों के क्रम बदलकर किये गये हो) सामूहिक नकल श्रेणी में रखा जाए। ऐसे छात्रों की अन्य सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जावे।सामूहिक नकल सिद्ध पाई जाने पर **(संपूर्ण विषयों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त किया जावे)** 2. एक उत्तर पुस्तिका में एक से अधिक हस्तलिपि में प्रश्न हल किये हो तो व्यक्तिगत नकल प्रकरण की श्रेणी रखा जाए तथा सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त किया जाना। साथ ही उस परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा उस कक्ष में तैनात पर्यवेक्षक की भी जांच उपरान्त मण्डल के परीक्षा कार्यों से आगामी पॉच वर्ष के लिये वंचित किया जाना, और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबधित प्रशासकीय विभाग को लिखा जाना।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 1493/परीक्षा समन्वय/2020 दिनांक 17/01 /2020

प्रतिलिपिः–

1 अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश के निज सचिव।

2 निज सहायक, अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/अपर संचालक वित्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।

3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

4 पंजीयक परीक्षा/डाटा, सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।

5 आँचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।

6 सहायक सचिव गोपनीय/परीक्षा/विधि माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।

7 जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल